उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

लखनऊ।

पत्रांक 1169 सीएसी / 2002 – 52 सीएसी / 78 दिनांक 13 जून 2002

सेवा में,

1– महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस, लखनऊ।

2– कमाण्डेन्ट इन चीफ,
सेन्ट्रल कमान, लखनऊ।

3– समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

4– ~~समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,~~
उत्तर प्रदेश ।

विषय– <u>वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों एवं पुलिस बल के जवानों को बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में</u> ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के निदेशक मण्डल ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्य बल के सैनिकों / अधिकारियों तथा पुलिस बल के जवानों / अधिकारियों , जोकि प्रदेश/ देश का गौरव बढ़ाते है, को प्रोत्साहन व सम्मान देने के लिये निगम बसो मे निशुल्क (नियमानुसार) यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय अपनी 153 वी बैठक दिनांक 01-05-2002 मे संकल्प सं०–2389/2002 के अर्न्तगत लिया है ।

इस संबंध मे परिपत्र सं०– 982 सीएसी / 2002 - 52 सीएसी / 78 दिनांक 23-05-2002 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियो को आवश्यक निर्देश प्रेषित कर दिये गये है । नियमों / प्रक्रिया की जानकारी एवं सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित परिपत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नक– यथोक्त ।

भवदीय,

(पी०के० श्रीवास्तव)
प्रधान प्रबन्धक (विधि)

<u>पत्रांक समसंख्यक एवं समदिनांकित ।</u>

प्रतिलिपि– उप सचिव, परिवहन अनुभाग–2 ,उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्नक– यथोक्त।

(पी०के० श्रीवास्तव)
प्रधान प्रबन्धक (विधि)

परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक [illegible] सीआरसी / 2002 -- 52 सीएसी / 78 दिनांक [illegible] जून 2002

सेवा में,

1– महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस, लखनऊ।

2– कमान्डेन्ट इन चीफ,
सेन्ट्रल कमान, लखनऊ।

3– समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

~~4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,~~
उत्तर प्रदेश।

विषय– <u>वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों एवं पुलिस बल के जवानों को बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में</u>।

महोदय,

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के निदेशक मण्डल ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्य बल के सैनिकों / अधिकारियों तथा पुलिस बल के जवानों / अधिकारियों, जोकि प्रदेश / देश का गौरव बढाते है, को प्रोत्साहन व सम्मान देने के लिये निगम बसों मे निःशुल्क (नियमानुसार) यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय अपनी 153 वी बैठक दिनांक 01-05-2002 में संकल्प सं०–2389/2002 के अन्तर्गत लिया है।

इस संबंध में परिपत्र सं०– 982 सीएसी / 2002 - 52 सीएसी / 78 दिनांक 23-05-2002 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियो को आवश्यक निर्देश प्रेषित कर दिये गये है। नियमों / प्रक्रिया की जानकारी एवं सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित परिपत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(पी०के० श्रीवास्तव)
प्रधान प्रबन्धक (विधि)

<u>पत्रांक समसंख्यक एवं समदिनांकित।</u>

प्रतिलिपि– उप सचिव, परिवहन अनुभाग–2, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक– यथोक्त।

(पी०के० श्रीवास्तव)
प्रधान प्रबन्धक (विधि)

182

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक 182 सीएसी / 2002 – 52 सीएसी / 73 दिनांक 23 मई, 2002

1– समस्त मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

2– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

4– समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

5– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषय– वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों एवं पुलिस बल के जवानों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में ।

निदेशक मण्डल ने अपनी 153 वीं बैठक दिनांक 01-05-2002 को वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्य बल के सैनिकों / अधिकारियों तथा पुलिस बल के जवानों / अधिकारियों, जो प्रदेश के नागरिक हैं, को प्रदेश में, निगम बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय संकल्प सं0– 2389 / 2002 के अर्न्तगत लिया है ।

उक्त सुविधा के लिये निम्नवत् नियम / प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1– यह यात्रा सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू की जायेगी ।

2–(अ) सैन्य बल के सैनिक / अधिकारी जो युद्ध व शान्ति के समय प्रदान किये जाने वाले निम्नांकित वीरता पुरस्कारों में से किसी के धारक हों, यात्रा सुविधा हेतु पात्र होंगे :–

1– परमवीर चक्र ।
2– अशोक चक्र ।
3– सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल ।
4– परम विशिष्ट सेवा मेडल ।
5– महावीर चक्र ।
6– कीर्ति चक्र ।
7– उत्तम युद्ध सेवा मेडल ।
8– अति विशिष्ट सेवा मेडल ।
9– वीर चक्र ।
10– शौर्य चक्र ।
11– युद्ध सेवा मेडल ।
12– सेना मेडल ।
13– विशिष्ट सेवा मेडल ।
14– मेन्सन इन डिस्पैचेज ।
15– चीफ आफ द आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड ।

2 (ग) पुलिस बल के जवान / अधिकारी [illegible] धारक हैं, यात्रा सुविधा हेतु पात्र होंगे :-

1– राष्ट्रपति का पुलिस पदक।

2– पुलिस पदक।

3– वीरता पुरस्कार से सम्मानित उ0प्र0 के मूल निवासी व्यक्ति ही यात्रा सुविधा हेतु पात्र होंगे।

4– वीरता पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के नागरिक अपने संबंधित जिलाधिकारी / परगनाधिकारी से नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

5– जिलाधिकारी / परगना अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति की फोटो भी प्रमाण पत्र पर प्रमाणित की जायेगी।

6– वीरता पुरस्कार के संबंध में प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति अपने जिले के संबंधित जिलाधिकारी / परगना अधिकारी / अपने विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करायेंगे।

7– नागरिकता प्रमाण पत्र (क्रमांक 4 व 5 के अनुसार) व वीरता पुरस्कार की प्रति (क्रमांक 6 के अनुसार) संलग्न करके जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय को परिचय-पत्र /पास हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

8– जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय अनुमन्य वीरता पुरस्कार धारकों को नियमानुसार स्थायी परिचय पत्र / पास निर्गत करेंगे।

9– परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा निर्गत उक्त परिचय-पत्र / पास के आधार पर वीरता पुरस्कार धारक व्यक्ति को निगम बसो में प्रदेश के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी।

10– वीरता पुरस्कार धारक व्यक्ति उक्त परिचय-पत्र / पास, यात्रा करते समय परिचालक को प्रस्तुत करेंगे।

11– इस यात्रा सुविधा में केवल निगम किराया ही निःशुल्क होगा। अतिरिक्त-कर व अन्य कर आदि संबंधित यात्री को नियमानुसार भुगतान करना होगा।

12– वीरता पुरस्कार धारकों की उक्त यात्रा सुविधा का अंकन परिचालक द्वारा मार्ग पत्र में अवश्य किया जायेगा। डिपो / क्षेत्रीय स्तर पर लेखा – जोखा, विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा की भाँति रखा जायेगा।

13– क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने क्षेत्र के समस्त डिपो की वीरता पुरस्कार धारकों को प्रदान की गयी निःशुल्क यात्रा सुविधा के संकलित आँकड़े की सूचना , विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की गयी निःशुल्क यात्रा सुविधा संबंधी मासिक विवरण-पत्र के अन्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित तिथि को मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

कृपया उपरोक्तानुसार वीरता पुरस्कार धारकों को यात्रा सुविधा प्रदान कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित कर्मचारियों / अधिकारियों , विशेषकर परिचालकों के उक्त निर्देश अनुपालनार्थ नोट करायें ।

(संजय अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक समसमसंख्यक एवं समदिनांकित ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारी , उ0प्र0 परिवहन निगम ।

2– निजी सचिव – अध्यक्ष , प्रबन्ध निदेशक, अपर प्रबन्ध निदेशक , महा प्रबन्धक (प्रशासन) उ0प्र0 परिवहन निगम ।

3– सहायक प्रबन्धक(टिकट), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय को इस आशय से कि वीरता पुरस्कार धारकों को यात्रा सुविधा हेतु निर्गत करने के लिये परिचय पत्र / पास छपवाकर 10 दिन के अन्दर विविध अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

4– जनसम्पर्क अधिकारी ,उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय को इस आशय से कि कृपया इस विषय पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें ।

5- समस्त यातायात निरीक्षक / यातायात अधीक्षक, उ0प्र0 परिवहन निगम ।

(पी0के0 श्रीवास्तव)
प्रधान प्रबन्धक(विविध)